(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दोनों राज्यों के राज्य-सशस्त्र बलों ने व्यापक रूप में इन झड़पों में भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस घटना के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारोंद्वारा भेजी गई सूचना के अलावा किसी अन्य स्त्रोत से भी कोई सूचना मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और क्या कारण है कि दोनों राज्यों ने दो राज्यों के बीच के मामलों का समाधान निकालने हेतु कोई प्रयास नहीं किये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) असम के वन विभाग के अधिकारियोंद्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दोनों राज्यों के बीच स्थित विवादास्पद सीमा क्षेत्र में बनाई गई सड़क को तोड़ने के बाद इस क्षेत्र में रह रहे असम के नागरिकों पर किसी अरुणाचल प्रदेश निशि ट्राइबल द्वारा आक्रमण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दो लोगों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए । 100 से अधिक झोपड़ियां भी जला दी गई। बदले की कार्रवाई के रूप में असम के क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में निशी आदिवासियों पर आक्रमण किया और 100 से अधिक झोपड़ियों को आग लगा दी ।

(घ) केन्द्रीय गृह मंत्री की पहल पर मार्च एवं अप्रैल, 1979 में दो बैठकें आयोजित की गईं जिसमें तनाव खत्म करने के उपाय करने, सीमा के कुछ निश्चित हिस्सों के चिह्नांकन और दिनांक 23 अप्रैल, 1979 से पांच क्षेत्रों में जमीनी सर्वेक्षण अभियान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया । आगे यह भी निर्णय लिया गया कि भारत के सर्वेक्षण विभाग तथा दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जाएगा । अगस्त, 1991 में दोनों मुख्य-मंत्री फिर से मिले और यथा स्थिति बनाए रखने पर सहमति हुई । हाल ही की घटनाओं के बाद 10 अप्रैल, 1992 को दोनों ओर के जिला अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई । जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह निर्णय लिया गया कि दोनों ओर के गांवों के बुजुर्ग लोगों वाली एक शांति समिति गठित की जाएगी और भविष्य में इस क्षेत्र में असम और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस और वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई/अभियान प्रारम्भ करने के पूर्व शांति समिति के सदस्यों को विश्वास में लिया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एकक

996. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1992 के "दि इकोनामिक टाइम्स" में "क्लियर टू सैंड सी० आर० पी० एफ० यूनिट्स टू उत्तर प्रदेश हिट्स एफर्टस टू टैकल टेररिज्म" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से कतिपय बटालियन भेजने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सैन्य बलों को मुहैया कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को स्वयं अपनी व्यवस्था करने की सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित, अर्ध सैनिक बलों की तैनाती के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से केन्द्र सरकार को समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं। बलों की उपलब्धता और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रख कर इन मांगों को यथासम्भव पूरा किया जा रहा है ।

Refusal by U.P. Government to answer queries on Ayodhya dispute

997. SHRI V. NARAYANASAMY:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem under the caption "Ayodhya dispute—U.P. not to answer queries from Centre" which appeared in the Indian Express of the 23rd April, 1992;

(b) if so, the details thereof and what is Government's reaction thereto; and

(c) the action being taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) Yes, Sir.

(b) The reported information was sought by the Delegation consisting of the Members of Standing Committee of the National Integration Council and Parliament who visted Ayodhya on 7th April, 1992. The Delegation has since submitted its report to the Government.

(c) Does not arise.

हैदराबाद में धार्मिक जुलूस पर गोली चलाना है

998. श्री राघवजी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने हैदराबाद में महावीर जयन्ती के अवसर पर एक धार्मिक जुलुस पर लाठी चार्ज किया था और गोली चलाई थी ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब): (क) जी हां, श्रीमान । 15 अप्रैल, 1992 को पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा, जिसमें कुछ व्यक्तियों को चोटें पहुंचीं और गोली चलने से कुछ व्यक्ति घायल भी हुए ।

(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखना संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II, राज्य सूची में शामिल है और इसलिए यह राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है । तथापि, साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने तथा साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने समय समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं और उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने इस मामले में एक न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है ।

Bomb Blast in Paharganj

999. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 15 persons sustained serious injuries in a Bomb blast in a Paharganj area restaurant of Delhi recently;